तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
26/9/19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी अवकाश /अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 23/10/19 को पेश हो।
23/10/19	वकुलाय उपस्थित। प्रतिवादी सं० 1 ता 3 की ओर से वकील श्री मंगलाराम ने वकालतनामा पेश किया था जो शामिल मिसल प्रति है। प्रतिवादी सं० 1 की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र 11 CPC पेश हुआ। नकल दिलाई गयी। वास्ते पेश होने जवाब प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 11 CPC हेतु मिसल दिनांक 6/11/19 को पेश हो।
6/11/19	वकुलाय उपस्थित। पूर्व आदेशानुसार दिनांक 13/11/19 को पेश हो।
13/11/19	वकुलाय उपस्थित। जवाब प्रा० 11 CPC पेश हुई। नकल दिलायी गयी। वास्ते बहस प्रा० पत्र 11 CPC हेतु मिसल दिनांक 20/11/19 को पेश हो।
20/11/19	पत्रावली वास्ते बहस प्रा० पत्र 11 CPC हेतु पेश हुई। बहस उभय पक्षकारान अधिवक्तागण से सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) ने दस्तावेज कुल 4 मय दस्तावेज पेश की जो शामिल मिसल की गयी। वकील अप्रार्थी (वादी) ने भी नजीर RRT 2010(1) Pg 283, RRD 14.3.2010 Pg 129, RRT 2016-17

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खण्डेला (सीकर)
गोरधन वि॰ रिछपाल आदि (दावा) क्र॰सं॰ 102/2018

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
Ph 548, विक्रयलेख दिनांक 12.10.79 व वाद सं० 34/2003 की प्रतियां पेश की जिसे निर्णय प्रा०पत्र 11 CPC हेतु नियत दिनांक 5/11/19 को पेश हो।	

पत्रावली 11 CPC प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पेश हुई। उभय पक्ष की बहस के तथ्यों पर गौर किया गया।

प्रतिवादी सं. 1 रिछपाल द्वारा प्रार्थनापत्र 11 CPC पेश कर आग्रह किया कि प्रश्नगत भूमि का वाद राजस्व मण्डल अजमेर में अपील सं. 4156/2009 के तहत विचाराधीन है। प्रार्थी रिछपाल का आग्रह रहा कि पूर्व में इस न्याया. में विचाराधीन वाद के समक्ष वादी गोरधन पुत्र मंगलाराम माली द्वारा कोई प्रतिवाद (Counter claim) स्थायी निषेधाज्ञा का पेश नहीं किया है अतः वे स्थायी निषेधाज्ञा वाद पश्चात्वर्ती प्रवाद से लाने हेतु बाधित है।

अप्रार्थी (वादी) गोरधन पुत्र मंगलाराम ने जवाब प्रार्थना पत्र 11 CPC पेश कर आग्रह किया कि न्याया. सहायक कलक्टर द्वारा वाद सं. 34/2003 रिछपाल बनाम सरकार दि. 13.8.07 को व RAA द्वारा अपील 20.4.09 को खारिज की जा चुकी है।

अप्रार्थी गोरधन का आग्रह रहा कि स्थायी निषेधाज्ञा का वाद 11 CPC द्वारा वर्जित नहीं है अप्रार्थी का आग्रह रहा कि प्रार्थी गोरधन वगैरह द्वारा मौके पर सींव डोल से छेड़छाड़ की आशंका के मद्देनजर स्थायी निषेधाज्ञा का वाद लाया गया है जो कि 11 CPC से वर्जित नहीं है।

अप्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में Ruling RRT 282 (High Court) व RRT 548 (राजस्व मण्डल) पेश की।

उभय पक्ष की बहस पर गौर किया गया। माननीय राजस्व मण्डल न्याया. में विचाराधीन अपील सं. 4156/2009 में अपीलार्थी ~~[illegible]~~ रिछपाल का अनुतोष घोषणा का है। इस दावा में वादी गोरधन का अनुतोष स्थायी निषेधाज्ञा का है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा भी जारी है। अपील में चाहा गया अनुतोष व स्थायी निषेधाज्ञा में चाहा गया अनुतोष परस्पर विपरीत है। अतः राजस्व मण्डल में अपील सं. 4156 व अस्थायी निषेधाज्ञा के जेरसर रहते हुये स्थायी निषेधाज्ञा वाद पर विचारण सम्भव नहीं है। अतः 11 CPC प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद वादी खारिज किया जाता है। वादी को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व मण्डल में विचाराधीन अपील के खारिज होने की स्थिति में इस न्याया. में स्थायी निषेधाज्ञा वाद लाने के लिये स्वतंत्र है। निर्णय आज दि. 5.12.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत सिंह)
5.12.19
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)